न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/555

1. किशन गोपाल आत्मज श्री हीरा जाति माली निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोहन पुत्र श्री हीरा जाति माली निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सूरजमल पुत्र श्री हरा जाति माली निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री चन्द्रशेखर कक्कड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बनयानी तहसील लाडपुरा में वादीगण के कब्जे व काश्त की आराजी जिसके पूर्व खसरा नम्बर 456 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा था वर्तमान में खसरा नम्बर 612, 608, 615 एवं 610 हैं । उक्त आराजी वादीगण को आवंटन समिति द्वारा दिनांक 06.06.1986 को आवंटित हुई । आवंटन की समस्त राशि वादीगण ने जमा करवा दी फिर भी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया । वादीगण वादग्रस्त आराजी अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का वादीगण खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण

के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम खाते में दर्ज की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक के 11.06.2016 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थी और इसे लोक अदालत में निर्णित कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलान्ट की जानकारी में लाये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की है । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.03.2018 को प्राप्त होते ही नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 01.06.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादीगण ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी सन् 1986 में कीमतन आवंटित की गई थी । अपीलान्ट वादीगण ने समस्त राशि जमा करवा दी थी परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बहैसियत खतोदार दर्ज नहीं किया गया । पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत थी परन्तु लोक अदालत में गलत रूप से वादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए बिना गुणावगुण पर सुनवाई किये दावा खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है, सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक है जिस पर हक घोषणा के दावे के माध्यम से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी को आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2016 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय

मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण के द्वारा एक दावा हक घोषणा का यह कथन करते हुए पेश किया था कि वादग्रस्त आराजी सन् 1986 में आवंटित हुई थी उनके द्वारा आवंटन की समस्त राशि जमा करवा दी गई है । अतः उनको खातेदार घोषित किया जावे । पत्रावली पर जवाबदावा संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात भी कायम की गई है जो पत्रावली में संलग्न हैं । पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण की उपस्थिति दर्ज कर उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी खारिज किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है। सीपीसी की पालना नहीं की गई है ।

12. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के भीतर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा